राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701( )पंरावि/प्रशा.1/सहा.अभि./रिट/अपील/स्था/अभ्यावेदन/23/1348 जयपुर,दिनांकः– 01/05/23

–::आदेश::–

श्री प्रकाश सैन, कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति दातारामगढ जिला सीकर द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 6426/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 के कम में अपना अभ्यावेदन तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2023प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मैं वर्तमान में कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर पंचायत समिति, दातारामगढ जिला सीकर में पदस्थापित हूँ। मेरा स्थानान्तरण विभागीय आदेश दिनांक 02.08.2022 के द्वारा पंचायत समिति सराडा जिला उदयपुर से पं.स. दातारामगढ जिला सीकर NON-TSP क्षेत्र में कर दिया है। मेरे माता–पिता व परिवार उदयपुर ही निवास करता है, तथा उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती है। माता पिता को महीने में 2 बार चेक कराने डॉक्टर के पास जाना पडता है तथा बच्चे भी छोटे है तथा पत्नी अकेले सभी मेनेज नहीं कर सकती है। अतः पारिवारिक परिस्थितियाँ खराब होने की स्थिति को देखते हुऐ कृपा कर मेरा पदस्थापन उदयपुर जिले में करने की कृपा करें।

श्री प्रकाश सैन को सुना गया। पत्रावली का परीक्षण किया गया तथा सभी दस्तावेजों को देखा गया। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के दिनांक 4 जनवरी, 2023 के निर्णय के आलोक में अभ्यावेदन के संबंध में श्री सैन को सुना गया। श्री सैन द्वारा विभाग को भर्ती के समय जो फार्म प्रस्तुत किया गया था, उससे स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने गैर टीएसपी का विकल्प चुना था। अतः उनका टीएसपी क्षेत्र में स्थानान्तरण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित नहीं है इसलिए दिनांक 2.8.2022 के स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध हटेगा तब उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर इनके अनुरोध पर विचार किया जायेगा।

इस प्रकरण में कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसके आधार पर श्री प्रकाश सैन, कनिष्ठ अभियन्ता के संबंध में उनका पदस्थापन उदयपुर रखने सबंधी निर्णय किया जा सके। श्री प्रकाश सैन का अभ्यावेदन इसी स्तर पर पत्रित किया जाता है।

(नवीन जैन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
5. जिला कलक्टर, सीकर
6. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायत समिति दातारामगढ जिला सीकर
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. श्री प्रकाश सैन, कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति दातारामगढ जिला सीकर को पालनार्थ।
10. आदेश पत्रावली।

Signature Not Verified
(घनश
उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (विधि)
Digitally signed by Naveen Jain
Designation : Secretary To Government
Date: 2023.04.28 12:15:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3730204